

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1116/2012/चित्तौड़गढ़

मैसर्स जागोटिया एण्ड कम्पनी,
घटियावली, चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, चित्तौड़गढ़।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी

श्री वी.के.पारीक,

अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 30/05/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या रेस्टोर 01/वैट/2011-12 निर्णय दिनांक 23.02.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 R/w 84 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2006-07 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा की गई खरीद बिलों की जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा की गई जांच पर पाया गया की आलौच्य अवधि में अपीलार्थी के द्वारा मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ से रुपये 20,73,586/- की खरीद घोषित की है। परन्तु उक्त फर्म एक बोगस फर्म है जिसका पंजीयन दिनांक 01.04.2005 से ही निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार एक बोगस फर्म से माल की खरीद बताकर गलत आईटीसी ली गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा आईटीसी रुपये 79,753/- रिवर्स करते हुए ब्याज रुपये 13,721/- तथा शास्ति धारा 61(2)(बी) के तहत चार गुनी रुपये 3,19,012/- आरोपित करते हुए कुल मांग रुपये 3,32,733/- सृजित की गई। जिसमें से कर राशि पूर्व में जमा होने से ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित ब्याज व शास्ति को यथावत रखा गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके फर्म के द्वारा नियमि रूप से खरीद की गई है। विक्रेता फर्म मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा उन्हें माल का विक्रय किया है तथा माल का भुगतान बैंक के द्वारा किया गया है। विक्रेता फर्म द्वारा अपना आर.सी. निरस्त करवाना, रिटर्न नहीं भरना या कर नहीं जमा कराने का दायित्व विक्रेता व्यवहारी का है। उसका दण्ड क्रेता को नहीं दिया जाना चाहिये। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे कथन किया कि इसके बावजूद भी बाद में कर राशि जमा कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जब कर जमा हो चुका है तो धारा 61 के तहत शास्ति देय नहीं बनती है अतः शास्ति को आपस्त करने हेतु निवेदन किया। श्री विनय सोगानी ने शास्ति के बिन्दु पर कर बोर्ड के फैसले अपील संख्या 1082/2012/नागौर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-पंचम, नागौर बनाम मैसर्स गुरुदेव केमिकल लाईम इण्डस्ट्रीज, गोगेलाव, नागौर निर्णय दिनांक 06.01.2014 में दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि जब कर जमा हो चुका हो तो आई.टी.सी. का मुजरा देना चाहिए तथा शास्ति देय नहीं बनती है, अतः उसे अपास्त करना चाहिये। उक्त आधार पर आरोपित शास्ति को अपास्त करने के लिए निवेदन किया।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति व ब्याज को यथावत रखने का अनुरोध किया तथा अपने कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में उल्लेखित तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि व्यवसायी ने तृतीय त्रैमास में जो विवरण वैट-7 में पेश किया है। उसके अनुसार 79,753/- रुपये की आगत कर का समायोजन चाहा गया था, जो कि जांच पर बोगस फर्म के द्वारा जारी किया जाना पाया गया। यह कि मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ के द्वारा जारी बिल बोगस है, क्योंकि उक्त फर्म का टिन नं. 08741101629 दिनांक 01.04.2005 से ही निरस्त किया जा चुका है। श्री जमील जई ने आगे कथन किया कि मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ का मालिक श्री मुकेश बोहरा था, जिसने कार्यालय में शपथ पत्र देकर कार्य दिनांक 01.04.2005 से ही बन्द करना घोषित किया है तथा कोई खरीद बिक्री करना घोषित नहीं किया है। बाद में ही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष श्री बसन्ती लाल बोहरा द्वारा अपने आपको भागीदार बताते हुए कर जमा कराने की पेशकश की परन्तु श्री बसन्ती लाल बोहरा फर्म में न तो भागीदार है न मालिक है अतः उसके निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार उक्त फर्म पूर्णतया बोगस फर्म है



जिसके द्वारा कोई खरीद बिक्री न तो की गई है न ही उसका कोई कर जमा कराया गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा जो शास्ति धारा 61(2)(बी) में आरोपित की गई है वह पूर्णतया न्यायोचित है अतः शास्ति एवं ब्याज को कायम रखा जाये।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ फर्म के मालिक श्री मुकेश बोहरा थे, जिनके द्वारा हल्फनामा पेश कर फर्म का व्यवसाय दिनांक 01.04.2005 से बन्द होना जाहिर किया है। हल्फनामों में उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा कोई खरीद बिक्री का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो खरीद मैसर्स मुकेश ऑयल एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, नेतावल तहसील चित्तौड़गढ़ से बतायी गई है वह बोगस प्रमाणित होती है। जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए ब्याज व शास्ति आरोपित की गई है। जहां तक कर जमा का प्रश्न है यह कर राशि विक्रेता द्वारा जमा नहीं कराई गई है। कर बोर्ड के निर्णय अपील संख्या 1082/2012/नागौर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-पंचम, नागौर बनाम मैसर्स गुरुदेव केमिकल लाईम इण्डस्ट्रीज, गोगेलाव, नागौर निर्णय दिनांक 06.01.2014 का प्रश्न है, उद्धरित न्यायिक निर्णय के तथ्य पूर्णतया भिन्न है अतः यह निर्णय यहां लागू नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी के विरुद्ध आगत कर रुपये 79,753/- को रिवर्स किया गया है। वह पूर्णतया उचित है तथा उसके जमा नहीं होने के कारण आरोपित ब्याज भी पूर्णतया उचित है इसी तरह बन्द फर्म से बोगस बिलों से खरीद दिखाकर आई.टी.सी. का झूठा क्लेम करने के अपराध में धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति रुपये 3,19,012/- भी पूर्णतया न्यायोचित है अतः इन्हें कायम रखा जाता है तथा अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

Suby
30-5-14
(अमर सिंह)
सदस्य